



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

क्रमांक एफ. 9/3/आयु.उ/मार्के/2005

दिनांक: 30/5/18

आदेश

वित्त सा.वि.ले. नियम पार्ट-1A के नियम-225 (एच) एवं वित्त विभाग की आई.डी. क्रमांक- JSFGT Finance 261400025 date 28.02.2014 के अनुसरण में इस विभाग के आदेश दिनांक 07.07.2014 का अतिक्रमण करते हुए कुर्सियों की रिकेनिंग का कार्य समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुमोदित नेत्रहीन व्यक्तियों की संस्थाओं के साथ-साथ विकलांगों, विधवाओं, अनाथों एवं भिखारियों की अनुमोदित संस्थाओं से कराने हेतु दरों का पुनः निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है-

1.	कुर्सियों की सीट रिकेनिंग	रूपये 75/-
2.	कुर्सियों की बैक रिकेनिंग	रूपये 70/-
3.	कुर्सी (वर्जिन दाने से निर्मित केनिंग सामग्री सहित)	रूपये 145/-

जिलों में नेत्रहीन/विकलांग व्यक्तियों की समिति नहीं होने की स्थिति में रिकेनिंग कार्य नेत्रहीन/विकलांग व्यक्तियों से चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर करवाया जा सकता है, जिसका भुगतान रूपये 500/- से अधिक होने पर चैक के माध्यम से किया जावेगा।

उक्त दरे तुरन्त प्रभाव से लागू मानी जावेगी।

(कृष्ण कुणाक्ष)
आयुक्त, उद्योग

दिनांक: 30/5/18

क्रमांक एफ. 9/3/आयु.उ/मार्के/2005

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर
4. सचिव, लोकायुक्त, सचिवालय, जयपुर
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
6. समस्त शासन सचिव/उपशासन सचिव, राजस्थान
7. प्रधान महा लेखाकार (सिविल लेखा परीक्षक) राजस्थान जयपुर
8. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर
9. समस्तकोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी
10. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर
11. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर
12. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र,.....

आयुक्त, उद्योग